

अति महत्वपूर्ण शर्तों और नियम (MITC) और इस दस्तावेज़ में सभी जानकारी "JK बैंक क्रेडिट कार्ड" धारकों / क्रेडिट कार्ड आवेदकों / बैंक के ग्राहकों / JK बैंक के क्रेडिट कार्ड उत्पाद में रुचि रखने वाले सामान्य जनता के सदस्यों पर तत्काल प्रभाव से लागू होती है। MITC बैंक की विवेकाधिकार पर और समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार बदल सकती हैं। उल्लेखित MITC कार्डधारकों के 'बैंक के साथ समझौते' के अन्तर्गत जैसा कि क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र में दिया गया है। उन शर्तों एवं नियमों के अतिरिक्त उन्हें साथ में पढ़ाना।

a. लेन-देन की निगरानी के एक भाग के रूप में, कार्डधारक के हितों की सुरक्षा के लिए बैंक कुछ भौगोलिक स्थानों या कुछ तकनीकी वाणिज्य स्थलों से कार्ड लेन-देन को रोक या प्रतिबंधित कर सकता है। ऐसे मामलों में ग्राहक का लेन-देन विफल हो जाएगा। इसलिए कार्डधारक कार्ड के किसी भी प्रकार के लेन-देन पर कार्डधारक को बिना सूचित किए अपने विशेष अधिकार से रोक अथवा प्रतिबंध लगा सकता है।

b. इसी अवस्था में यदि कार्ड सीमा/निकासी सीमा में कोई बदलाव किया जाता है, चाहे वह कार्डधारक के अनुरोध पर हो या उत्पाद संबंधी किसी परिवर्तन के कारण, तो कार्डधारक सहमत होता है और ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए बाध्य होता है और मूल सीमा से ऊपर किए गए किसी भी लेन-देन के लिए जिम्मेदार होता है। किसी भी स्थिति में कार्डधारक ऐसे लेन-देन पर विवाद नहीं कर पाएगा। सीमा केवल कार्डधारक की सहमति प्राप्त करने के बाद बढ़ाई जाएगी और सीमा में किसी भी कमी की सूचना कार्डधारक को दी जाएगी।

c. बैंक किसी भी तकनीकी कारणों या किसी एटीएम मशीन की खराबी, व्यापारी स्थान (पी.ओ.एस और तकनीकी वाणिज्य) आदि की विफलता के कारण किसी भी लेन-देन की अफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

d. इसके बावजूद, बैंक और कार्डधारक के बीच शर्तों और नियमों में या किसी अन्य समझौते में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, बैंक किसी भी अप्रत्यक्ष, दंडात्मक, विशेष, आकस्मिक या परिणामी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो तकनीकी दोषों आदि के कारण लेन-देन में विफलता से उत्पन्न हुई हो।

e. कार्डधारक यह पूरी तरह से स्वीकार करता है, सहमत होता है और पुष्टि करता है कि इंटरनेट या अन्यथा किसी भी सेवा की सदस्यता के परिणामस्वरूप कार्डधारक के संबंधित खाते में किए गए किसी भी कटौती, जिसमें वे लेन-देन शामिल हैं जिनकी किस्तें स्वचालित रूप से निकलती है, वैध लेन-देन जो कार्डधारक द्वारा पूरी तरह से स्वीकृत और अनिवार्य हैं। कार्डधारक केवल और पूरी तरह से इन सभी लेन-देन के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे किसी भी लेन-देन को किसी भी आधार पर विवादित नहीं किया जाएगा।

f. कार्डधारक सहमत होता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नियमों/शर्तों का पालन करेगा, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

g. कार्डधारक सहमत होता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए FEMA दिशानिर्देशों का पालन करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत के बाहर लेन-देन के लिए कार्ड का उपयोग लागू कानूनों के अनुसार

किया जाना चाहिए, जिसमें RBI के विनिमय नियंत्रण नियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 शामिल हैं, और यदि ऐसा करने में आप विफल होते हैं तो आपको दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

शुल्क और व्यय

I. प्रमुख कार्डधारक और एड-ऑन कार्डधारक के लिए संयोजन शुल्क:

नवीकरण शुल्क, वार्षिक शुल्क, शामिल होने अथवा जुड़ने के लिए शुल्क या कोई अन्य शुल्क की अनुसूची के अनुसार होगा।

II. प्रमुख और एड-ऑन कार्डधारक के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क:

व्यय शुल्क शुल्क की अनुसूची के अनुसार लागू होंगे। हालांकि, बैंक को किसी भी समय शुल्क या शुल्क में परिवर्तन करने का विशेष अधिकार है, या कोई नया शुल्क या शुल्क संरचना प्रस्तुत करने का अधिकार है, जिसे वह उपयुक्त समझे, और इसके लिए कार्डधारकों को कम से कम 30 दिन पहले सूचित करेगा। यह स्पष्ट किया गया है कि यह परिवर्तन/संशोधन कार्डधारक को किसी भी मीडिया के माध्यम से बैंक द्वारा चुने गए तरीके से सूचित किया जा सकता है, जो बैंक के एकमात्र विवेक पर निर्भर करेगा।

III. नकद अग्रिम शुल्क:

नकद अग्रिम शुल्क शुल्क और शुल्क की अनुसूची के अनुसार होगा।

IV. कुछ विशेष लेन-देन पर वसूल किया जाने वाला सेवा शुल्क:

नकद अग्रिम शुल्क, वित्त शुल्क और सभी अन्य शुल्क जो क्रेडिट कार्ड पर लागू होते हैं, शुल्क और शुल्क की अनुसूची में विस्तृत रूप से दिए गए हैं।

V. ब्याज मुक्त (छूट/मुहलत) अवधि:

ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि की सीमा 20 से 50 दिनों के बीच हो सकती है। हालांकि, यह केवल खुदरा खरीदारी पर लागू होती है और केवल तब जब पिछले बिल का लंबित बैलेंस पूरी तरह से चुकता किया गया हो। यदि कार्डधारक ने एटीएम से नकद निकाला है तो ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि लागू नहीं होगी और यदि पिछले महीने के बिल का कोई भी बैलेंस बकाया है तो ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि निलंबित हो जाएगी।

(छूट/मुहलत) अवधि की गणना के लिए उदाहरणात्मक वितरण:

21 मार्च से 20 अप्रैल तक की अवधि के लिए वित्तीय लेन-देन का विवरण तथा भुगतान की अंतिम तिथि 10 मई है। यदि आपने पिछले महीने के बकाया राशि को पूरी तरह से चुकता कर दिया गया है, तो छूट/मुहलत अवधि इस प्रकार होगी:

- 21 मार्च को की गई खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त ग्रेस अवधि 21 मार्च से 9 मई तक : 50 दिन ।
- 1 अप्रैल को की गई खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त ग्रेस अवधि 1 अप्रैल से 9 मई तक : 39 दिन ।
- 10 अप्रैल को की गई खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त ग्रेस अवधि 10 अप्रैल से 9 मई तक : 30 दिन ।

इस प्रकार, grace period (विश्राम अवधि) खरीदारी की तिथि के आधार पर भिन्न हो सकती है। हालांकि, यदि आपने पिछले महीने का पूरा बैलेंस नहीं चुकाया है या यदि आपने एटीएम से नकद निकाला है, तो कोई ब्याज मुक्त अवधि नहीं होगी।

VI. परिक्रमी जमा धन राशि और नकद अग्रिम धन राशि पर ब्याज : परिक्रमी जमा धन राशि और

नकद अधिकम धन राशि पर ब्याज दोनों ही लागू होंगे, जो सभी लेनदेन पर मासिक प्रतिशत दर पर लगेंगे, जब कार्डधारक अपना बैलेंस पूरा नहीं चुकता करता है और एटीएम से निकाले गए सभी नकद अग्रिम धन राशि पर, जब तक कि उन्हें वापस नहीं किया जाता। यदि ब्याज देना होता है, तो वह कार्डधारक के खाते से निकाला जाएगा जब तक कार्ड पर बकाया पूरी तरह से चुकता नहीं हो जाता।

- **नकद अग्रिम धन राशि पर ब्याज** लेनदेन की तारीख से लागू होगा जब तक पूरा भुगतान नहीं किया जाता।
- जब ग्राहक कोई बकाया राशि आगे बढ़ाता है या अग्रिम राशि का लाभ उठाता है, तो औसत दैनिक बैलेंस पद्धति से ब्याज की गणना की जाएगी और यह बकाया और नए उपयोग पर लागू होगा ।
- यदि कार्डधारक जमा कार्ड की परिक्रमी जमा राशि सुविधा का उपयोग करता है और इसलिए मासिक बिलिंग स्टेटमेंट में दर्शाए गए कुल बकाया से कम भुगतान करने का विकल्प चुनता है, तो सभी बकाया लेनदेन पर ब्याज लगेगा, जिसमें नए लेनदेन भी शामिल होंगे, लेनदेन की तारीख से लेकर तब तक जब तक बकाया पूरा चुकता नहीं किया जाता ।
- **भुगतान देरी पर शुल्क** वसूली तभी लागू होगी यदि न्यूनतम भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है। समय पर भुगतान से बचने के लिए भुगतान की निर्धारित तिथि से पहले जे. के. कार्ड खाते में स्पष्ट राशि जमा होनी चाहिए, ताकि शुल्क से बचा जा सके, जो शुल्क तालिका सूची के अनुसार लागू हुए हैं।

ब्याज की गणना उदाहरणात्मक विवरण :

मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल को 1200 रुपये की घड़ी खरीदी और 10 अप्रैल को 800 रुपये की अंगूठी खरीदी, और आपने 10 मई को न्यूनतम भुगतान (100 रुपये) किया। ब्याज की गणना इस प्रकार होगी:

- बिलिंग चक्र 21 से 20 तक।
- भुगतान की नियत तिथि 10 तारीख ।
- न्यूनतम भुगतान 100 रुपये।
- 10 मई को 100 रुपये का भुगतान किया गया।
- बकाया राशि परिक्रामी जमा राशि (रिवॉल्वड अमाउंट) 1900 रुपये।

ब्याज की गणना: $\text{ब्याज} = (\text{बकाया राशि} \times 3.00\% \times 12 \text{ महीने} \times \text{दिन की संख्या}) / 365$

- 1200 रुपये पर 39 दिन (1 अप्रैल से 9 मई तक) का ब्याज = 46.16 रुपये।
- 800 रुपये पर 30 दिन (10 अप्रैल से 9 मई तक) का ब्याज = 23.67 रुपये।
- 1900 रुपये पर 11 दिन (10 मई से 20 मई तक) का ब्याज = 20.61 रुपये।

कुल ब्याज बिलिंग चक्र (21 अप्रैल से 20 मई तक) 42 वसूल किया जाएगा = 90.44 रुपये + लागू कर। कुल बकाया = 1990.44 रुपये।

कृपया ध्यान दें कि ब्याज और अन्य शुल्क जेके बैंक की विवेकाधिकार पर बदल सकते हैं।

बैंक, हालांकि, शुल्कों में कोई भी परिवर्तन हो; कार्डधारक को 30 दिनों से पहले सूचित करेगा। साथ ही, कृपया ध्यान दें कि यदि कार्डधारक खाते की क्रेडिट सीमा से अधिक खर्च करता है, तो ओवर लिमिट शुल्क खाता पर लगाया जाएगा। कार्ड का उपयोग स्वीकृत सीमा से अधिक तब ही किया जा सकेगा जब कार्डधारक की स्पष्ट सहमति प्राप्त हो, हालांकि, क्रेडिट कार्ड पर ब्याज या किसी भी शुल्क / फीस को कार्डधारक की क्रेडिट सीमा के उपयोग की गणना में नहीं जोड़ा जाएगा और ओवरलिमिट शुल्क नहीं लगाया जाएगा। विशिष्ट अवसरों पर लगाए जाने वाले शुल्कों की सूची के लिए, कृपया शुल्क और शुल्क अनुसूची को देखें ।

नोट: हर महीने केवल न्यूनतम भुगतान करने से ऋण चुकता करने में कई महीने/साल लग सकते हैं और आपके शेष राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान बढ़ सकता है।

नकद सीमा

क्रेडिट लिमिट और नकद लिमिट कार्डधारकों को जेएंडके बैंक के आंतरिक क्रेडिट मानदंडों के आधार पर आवंटित की जाती हैं (अधिनायक कार्डधारक वही सीमाएँ रखते हैं जो प्राथमिक खाता धारक के पास हैं)। ये सीमाएँ कार्ड के वितरण के समय कार्डधारक को सूचित की जाती हैं। जमा राशि और नकद सीमाएँ प्रत्येक (लेन-देन की सूची) स्टेटमेंट में कार्डधारक को सूचित की जाती हैं । (लेन-देन की सूची) स्टेटमेंट उत्पन्न करते समय उपलब्ध जमा

राशि सीमा (अर्थात उपयोग के लिए उपलब्ध जमा राशि सीमा) (लेन-देन सूची) के हिस्से के रूप में प्रदान की जाती है। जिन कार्डधारकों को अपनी जमा राशि सीमा बढ़वानी है, वे अपने संबंधित जेएंडके बैंक शाखाओं में आवेदन कर सकते हैं और शाखा द्वारा मांगे गए संबंधित दस्तावेज़ प्रदान कर सकते हैं। जेएंडके बैंक अपने विवेकाधिकार पर और प्रदान किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर लिमिट का मूल्यांकन करके उसे बढ़ा सकता है।

भुगतान करने की तारीख और लेन-देन सूची :

- भुगतान करने की तारीख - आवधिकता और भेजने का तरीका:

जेएंडके बैंक हर महीने कार्डधारक को एक ई-स्टेटमेंट ईमेल द्वारा भेजेगा, जिसमें पिछले स्टेटमेंट के बाद किए गए भुगतान और लेन-देन का विवरण होगा। इसके अलावा, ई-स्टेटमेंट बैंक की वेबसाइट www.jkbank.com पर उपलब्ध होंगे और जेएंडके बैंक M-Pay Delight + एप्लिकेशन से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। यदि बकाया शून्य है और कोई लेन-देन नहीं हुआ है, तो कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा।

- **न्यूनतम राशि देय:**

क्रेडिट कार्ड कार्डधारक को परिक्रामी ऋण की सुविधा प्रदान करता है। कार्डधारक केवल लेन-देन सूची पर मुद्रित न्यूनतम राशि देय का भुगतान कर सकता है। शेष बकाया अगले लेन-देन सूची में ले जाया जा सकता है। कार्डधारक पूरी देय राशि या न्यूनतम राशि देय से अधिक का कोई भी हिस्सा चुका सकता है। ऐसा भुगतान भुगतान की नियत तिथि से पहले किया जाना चाहिए। देर से भुगतान शुल्क से बचने के लिए भुगतान की नियत तिथि से पहले जेके बैंक कार्ड खाते में पूरी राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान की नियत तिथि से कम से कम 4 कार्यदिवस पहले स्थानीय चेक जमा करें ताकि भुगतान कार्ड खाते पर सही समय पर दिखाई दे। पिछले स्टेटमेंट की कोई भी अनपेक्षित न्यूनतम राशि देय कार्डधारक की वर्तमान न्यूनतम राशि देय में जोड़ी जाएगी, इसके अतिरिक्त क्रेडिट लिमिट से अधिक बकाया और ईएमआई (यदि कोई हो) वो भी जोड़ी जाएगी। इसके अलावा, किसी भी ईएमआई (प्री-क्लोजनर) लोन चुकाने हेतु धनराशि को संबंधित स्टेटमेंट की न्यूनतम राशि देय में भी जोड़ा जा सकता है।

- कार्ड पर बकाया राशि का किया गया भुगतान अगली लेन-देन सूची में स्वीकार किया जाएगा।
- कार्डधारक द्वारा बकाया राशि के किए गए भुगतान को अन्य शुल्कों, करों, ब्याज शुल्कों, खरीदारी अथवा अन्य नकद अग्रिमों के खिलाफ क्रमशः समायोजित किया जाएगा।

नोट: हर महीने केवल न्यूनतम भुगतान करने से ऋण चुकता करने में कई महीने / साल लग सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपके शेष राशि पर सूद-दर- सूद ब्याज का भुगतान बढ़ सकता है।

भुगतान विधि:

क्रेडिट कार्ड के बकाए का भुगतान निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:

नकद भुगतान:

नकद भुगतान जेएंडके बैंक की किसी भी शाखा में किया जा सकता है। स्वीकृति के लिए टीएटी उस एक दिन जिस दिन बैंक खुला हो।

ऑनलाइन मोड

बिल का भुगतान जेएंडके बैंक के ई-बैंकिंग पोर्टल या मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान NEFT / IMPS के माध्यम से भी आपके 16 अंकों के क्रेडिट कार्ड खाते नंबर पर किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए इंटरबैंक लेन-देन के लिए IFSC कोड JAKAOSWITCH का उपयोग करना होगा। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से क्रेडिट कार्ड विकल्प के जरिए भुगतान के लिए टीएटी उसी दिन है और अन्य भुगतान मोड्स के लिए टीएटी उस दिन जिस दिन बैंक खुला हो।

ग्राहक मास्टरकार्ड या वीज़ा कार्ड के लिए मास्टरकार्ड मनी सेंड या वीज़ा कार्ड के लिए वीज़ा डायरेक्ट फंड्स के माध्यम से भुगतान भी कर सकते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जेएंडके बैंक से संबद्ध नहीं होने वाले अन्य चैनलों, जैसे 3rd पार्टी ऐप्स के माध्यम से किए गए क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए स्वीकृति के लिए अधिक टीएटी हो सकता है। यदि जेएंडके बैंक को भुगतान नियत तिथि से पहले या नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होता है, तो शुल्क अनुसूची के अनुसार लागू होंगे। गैर-संलग्न चैनलों के माध्यम से की गई भुगतान में विलंब/प्रतिक्रिया न होने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, ग्राहक संबंधित चैनल से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

चेक / ड्राफ्ट:

चेक / ड्राफ्ट को JK Bank Credit Card Account No. 5555XXXXXXXXXXXX (सोलह अंकों) के पक्ष में बनाएं और उसे जेएंडके बैंक की किसी भी शाखा में जमा करें। कृपया कि अपना नाम लेखन सुनिश्चित करें। चेक के पीछे संपर्क नंबर लिखें। क्लियरिंग चेक भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। जे. एण्ड के. बैंक भुगतान का टी. ए. टी. एक कार्यदिवस है। जिस दिन बैंक खुला हो।

ऑटो डेबिट: (तय तारीख पर निश्चित रकम का स्वतः कटना)

J&K बैंक के खाता धारक के मामले में, क्रेडिट कार्ड की देनदारी की मासिक भुगतान के लिए ऑटो डेबिट निर्देश कार्ड जारी करने वाली शाखा में 'न्यूनतम राशि देय' या 'कुल राशि देय' के लिए पंजीकृत किए जा सकते हैं। भुगतान का TAT उसी दिन है।

भुगतान का आवंटन:

आपके कार्ड खाता में किए गए भुगतान निम्नलिखित क्रम में आवंटित किए जाएंगे:

1. शुल्क और ब्याज सहित कर
2. खरीद और ईएमआई
3. नकद अग्रिम।

बिलिंग विवाद (भुगतान करने की तारीख पर विवाद)

यदि कार्डधारक 15 दिनों के भीतर J&K बैंक को लिखित रूप में असमानताएँ सूचित नहीं करता है, तो लेन-देन की सूची की सभी सामग्री सही और स्वीकृत मानी जाएगी।

J&K बैंक का 24 घंटे ग्राहक हेल्पलाइन नंबर:

कार्डधारक 1800 890 2122 (टोल-फ्री) या + 91-194-2481936 या J&K बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

शिकायत निवारण:

यदि बैंक से संपर्क करने के बाद संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमारे शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:

शिकायत निवारण अधिकारी

कॉर्पोरेट मुख्यालय, M.A. रोड; श्रीनगर

दूरभाष संख्या: +91 194-2713563

ईमेल: grievance.creditcards@jkbmail.com

यदि शिकायत निवारण अधिकारी से 07 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो आप ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क कर सकते हैं: jkbcustomercare@jkbmail.com

कार्ड जारी करने वाले बैंक का पूर्ण पता:

जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड,
डिजिटल और वैकल्पिक चैनल्स,
कॉर्पोरेट मुख्यालय,
M. A. रोड, श्रीनगर -190001 (J&K) भारत

एसएमएस अलर्ट्स / चेतावनियाँ

क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की सुविधा और जोखिम को कम करने के लिए, सभी ग्राहकों के बैंक में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर निम्नलिखित एसएमएस चेतावनियाँ भेजे जाएंगे:

- JK बैंक क्रेडिट कार्ड से की गई सभी लेन-देन प्रक्रियाओं के बाद के बाद एक सूचित एवं सुनिश्चित करने हेतु एसएमएस चेतावनी भेजी जाती है।
- जब कार्ड आवेदन स्वीकृत होता है।
- जब नया कार्ड सक्रिय होता है।
- सीमा में कोई परिवर्तन आदि।

नोट: कार्डधारकों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी संबंधित शाखा में पंजीकृत या अपडेट कराएं।

कार्ड का उपयोग:

RBI दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी कार्ड केवल भारत में संपर्क आधारित उपयोग बिंदुओं (एटीएम और पीओएस, यानी बिक्री बिंदु उपकरण) पर उपयोग के लिए सक्षम होंगे। आप कभी भी अपनी उपयोग प्राथमिकताएँ सेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग ऐप या नजदीकी शाखा पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय, ऑनलाइन लेन-देन या संपर्क रहित लेन-देन को सक्षम / अक्षम कर सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड केवल वैध और वास्तविक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और इसका उपयोग अवैध रूप से कमाए गए रूप्यों को वैध रूप से पेश करना। असामाजिक या सट्टा गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता।

डिफॉल्ट:

कार्ड खाता पर कुल बकाया, साथ ही उस पर कोई शुल्क जो प्रभावित हो चुका हो लेकिन अभी तक कार्ड खाते में नहीं जोड़ा गया हो, तुरंत देय और भुगतान योग्य हो जाएगा J&K बैंक को, जब निम्नलिखित में से कोई एक घटना घटित होती है, जिसे डिफॉल्ट का मामला माना जाएगा:

- कार्डधारक निर्धारित समय (बिलिंग चक्र) में बैंक को देनदारी का भुगतान करने में विफल रहता है।
- कार्डधारक दिवालिया हो जाता है या कार्डधारक की वित्तीय स्थिति में कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन आता है, जो बैंक की राय में बैंक के हित को प्रभावित करता है।
- कार्डधारक का निधन या पूर्ण स्थायी विकलांगता।
- किसी अदालत द्वारा गार्निशी आदेश जारी किया जाता है।
- कार्डधारक द्वारा किया गया कोई भी प्रतिनिधित्व गलत, भ्रामक, झूठा या अधूरा साबित होता है,

- जिसमें आय और / या पहचान संबंधी कागजात / दस्तावेज़ शामिल हैं।
- कार्डधारक आमतौर पर कुछ करता है या करने से चूकता है, जिससे बैंक के अधिकारों को नुकसान हो सकता है या बैंक को कोई हानि / नुकसान हो सकता है।
- यदि कार्डधारक किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है या उस पर आरोप हैं और किसी भी
- भुगतान उपकरण, जिसमें चेक और / या स्थायी निर्देश शामिल हैं, जो बैंक को प्रस्तुत किए गए हैं, किसी भी कारण से नकद नहीं किए गए हैं।
- यदि जेएंडके बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य ऋण सुविधाओं के तहत कोई अनुबंध पूरा नहीं किया जाता है।
- यदि प्राथमिक कार्डधारक की दिवालियापन या मृत्यु हो जाती है, तो कार्डधारक की संपत्ति कार्ड
- खाता पर बकाया राशि को निपटाने के लिए जिम्मेदार होगी और जेएंडके बैंक को सभी खर्चों से, जिसमें कानूनी शुल्क और बकाया वसूलने में खर्च हुए शामिल हैं, indemnify (बीमा) करना चाहिए। ऐसी चुकतियों के लंबित रहने तक, जेएंडके बैंक अपनी मौजूदा दरों पर सेवा शुल्क लागू करने का अधिकार रखेगा।
- यदि कार्डधारक अपने मासिक बयान की बकाया राशि को निपटाने में देर करता है या असमर्थ है, तो जेएंडके बैंक अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और बकाया राशि को कार्डधारक के नाम पर बैंक में रखे गए किसी भी खाते, जमा या पैसे के खिलाफ सेट ऑफ कर सकता है।
- यदि कार्डधारक बकाया राशि चुकता करने में देरी करता है या सक्षम नहीं है, तो जेएंडके बैंक कार्ड खाता पर किसी भी बकाया को निपटाने के लिए समय-समय पर रिमाइंडर भेजेगा, जिसमें पोस्ट, फैक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस और / या अपने प्रतिनिधियों को शामिल करना है।
- यदि कार्डधारक रिमाइंडर्स और नोटिस जारी करने के बावजूद बकाया राशि का निपटान करने में विफल रहता है, तो उसका नाम CIBIL, RBI द्वारा अधिकृत किसी अन्य क्रेडिट सूचना कंपनी को डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।
- यदि कार्डधारक का ई-मेल, रोजगार, ऑफिस, आवासीय पता या फोन/मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन होता है, तो कार्डधारक को तुरंत जेएंडके बैंक को लिखित रूप में या ई-मेल द्वारा सूचित करना चाहिए और इसकी पुष्टि डाक या फैक्स द्वारा करनी चाहिए।

जे.एण्ड के. बैंक द्वारा कोई भी सूचना कार्ड धारक को 7 दिनों के अन्दर - अन्दर ले लेनी चाहिए जोकि बैंक द्वारा कार्ड धारक के पते पर पोस्ट की गई है। जिसके लिए अंतिम बार कार्ड धारक ने जे. के. बैंक को सूचित किया और विशेषतय: निवेदन भी किया कि 24 घण्टों के अन्तर्गत e-mail पते पर अथवा इ-मेल द्वारा सूचित करें जो इ-मेल कार्ड धारक द्वारा सूचित की गई है। कोई भी सूचना फैक्स द्वारा अथवा बातचीत द्वारा या लिखित रूप से पहुँचाई जा सकती है। जे एण्ड के बैंक किसी भी प्रकार की सूचना में देरी अथवा रसीद आदि में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

विशेष उल्लेख खाता (SMA) और गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकरण

विनियामक दिशानिर्देशों के प्रावधानों अनुसार, ऋणदाताओं को उधारी खातों में प्रारंभिक दबाव को पहचानने की आवश्यकता होती है, और डिफॉल्ट होने पर इन्हें विशेष उल्लेख खाता (SMA) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उधारी खातों को SMA और NPA के रूप में वर्गीकृत करना संबंधित तिथि के दिन के अंत की प्रक्रिया का हिस्सा होगा, और SMA या NPA वर्गीकरण तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी, जिसके लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाई जाती है। तदनुसार, SMA / NPA की तिथि उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में खाते की संपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी। SMA / NPA श्रेणी का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा: इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं-

- क्रेडिट कार्ड खाता या उस पर अतिरिक्त ऋण में बकाया (यहां पर क्रेडिट कार्ड देय राशि, जैसा कि क्रेडिट कार्ड बिलिंग स्टेटमेंट में उल्लेखित है, वह न्यूनतम देय राशि मानी जाएगी) ।
 - SMA 0: 30 दिनों तक
 - SMA - 1: 30 दिन से 60 दिन
 - SMA - 2 : 60 दिन से 90 दिन
 - तक NPA : 90 दिन से अधिक
- यदि क्रेडिट कार्ड खाता में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में उल्लेखित न्यूनतम देय राशि को 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से चुकता नहीं किया गया हो, तो उसे गैर-प्रदर्शन संपत्ति (NPA) के रूप में माना जाएगा।

ऐसे वर्गीकरण का उदाहरण इस प्रकार है:

1. SMA 0 - यदि एक ऋण खाता की देय तिथि 31 अगस्त 2022 है, और इस तिथि पर बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो खाता 31 अगस्त 2022 के दिन के अंत में SMA 0 के रूप में वर्गीकृत होगा।
2. SMA 1 - यदि यह लगातार अधूरा रहता है, तो यह खाता 30 दिनों तक लगातार अधूरे रहने के बाद SMA -1 के रूप में वर्गीकृत हो जाएगा, अर्थात् 30 सितंबर 2022 को ।
3. SMA 2 - यदि खाता लगातार अधूरा रहता है, तो इसे 30 अक्टूबर 2022 को SMA - 2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
4. NPA – यदि खाता आगे भी अधूरा रहता है, तो इसे 29 नवंबर 2022 को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
5. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, खातों का NPA के रूप में वर्गीकरण उधारकर्ता के आधार पर किया जाता है, न कि सुविधा के आधार पर। अतः यदि ग्राहक द्वारा बैंक से प्राप्त किसी भी सुविधा के लिए देय राशि

का भुगतान नहीं किया जाता है, और परिणामस्वरूप खाता NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो बैंक के पास ग्राहक के सभी अन्य ऋण/क्रेडिट कार्ड / खातों को भी NPA के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार होगा और इससे बैंक को ऐसे सभी ऋणों / क्रेडिट कार्ड / सुविधाओं को पुनः प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, भले ही इन खातों में नियमित भुगतान किया जा रहा हो।

CIBIL से डिफॉल्ट रिपोर्ट का वापस लेना

बैंक अपनी पूरी विवेकाधिकार पर निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक पर CIBIL को जारी की गई डिफॉल्ट रिपोर्ट को वापस ले सकता है:

1. डिफॉल्टर ने बैंक के साथ अपनी पूरी बकाया राशि चुका दी है या उसे निपटाया है।
2. बैंक को अदालत का आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें बैंक को कार्डधारक को डीलिस्ट करने अथवा सूची में हटाने का निर्देश दिया गया हो।
3. निर्णय बैंक द्वारा प्रत्येक मामले की समीक्षा के बाद लिया जाएगा।

कार्डधारक की सदस्यता का समाप्ति / निरस्तीकरण

- i) कार्डधारक कार्डधारकता समाप्त कर सकता है और क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने का अनुरोध विभिन्न चैनलों जैसे हेल्पलाइन, संपर्क केंद्र, या ईमेल के माध्यम से कार्ड जारी करने वाली शाखा को कर सकता है। सभी कार्ड, जिसमें अतिरिक्त कार्ड शामिल हैं, बंद करने के अनुरोध के आधार पर समाप्त किए जाएंगे। समाप्ति केवल तभी प्रभावी होगी जब सभी बकाया राशि का भुगतान किया गया हो। कोई भी वार्षिक, जॉइनिंग या नवीनीकरण शुल्क (प्रोराटा) अनुपात के आधार पर वापस नहीं किया जाएगा।
- ii) जेके बैंक किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के क्रेडिट कार्ड का उपयोग प्रतिबंधित, समाप्त या निलंबित कर सकता है यदि बैंक यह मानता है कि यह व्यावसायिक या सुरक्षा कारणों से आवश्यक है। यदि कार्डधारक भुगतान में डिफॉल्ट करता है या निर्धारित क्रेडिट सीमा से अधिक जाता है, तो बैंक क्रेडिट कार्ड की सुविधा निलंबित कर सकता है। कार्ड को तब तक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जब तक समझौता समाप्त न हो जाए या कार्ड खाता निलंबित न हो। ऐसे में, कार्डधारक को (किसी भी डिफॉल्ट या अन्य कानूनी नोटिस के अधीन) तुरंत बैंक को सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। कार्ड तभी बंद माना जाएगा जब कार्डधारक सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा।
- iii) यदि एक क्रेडिट कार्ड एक वर्ष से अधिक समय तक उपयोग में नहीं लिया गया है, तो बैंक कार्डधारक को सूचित करने के बाद कार्ड बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यदि कार्डधारक से 30 दिनों के भीतर कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो बैंक कार्ड खाता बंद कर देगा, बशर्ते कि कार्डधारक सभी देय राशि का भुगतान कर

चुका हो। कार्ड खाता बंद करने की जानकारी क्रेडिट जानकारी कंपनी/ कंपनियों को 30 दिनों के भीतर अद्यतन की जाएगी।

फिक्स्ड डिपॉजिट के खिलाफ क्रेडिट कार्ड

निश्चित अवधि का जमा खाता (सावधि जमा) के विरुद्ध क्रेडिट कार्ड

- i. जिस सावधि जमा के खिलाफ क्रेडिट कार्ड सुविधा प्राप्त की गई है, वह ग्राहक द्वारा बैंक को देय शेष राशि के लिए लगातार सुरक्षा के रूप में कार्य करेगा।
- ii. यदि डिफॉल्ट या समग्र बकाया राशि, जिसमें बिना चुकता किए गए शुल्क भी शामिल हैं, मांग पर चुकता नहीं की जाती है, तो बैंक फिक्स्ड / टर्म डिपॉजिट को पहले ही समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है या कार्ड के खिलाफ पेश किए गए टर्म डिपॉजिट को समायोजित कर सकता है और ग्राहक की देनदारियों को निपटाने के लिए नेट राशि को उचित कर सकता है।
- iii. बैंक को ग्राहक की पात्रता के आधार पर अपनी विवेकाधिकार से क्रेडिट कार्ड से जुड़े फिक्स्ड डिपॉजिट से लियन हटाने का अधिकार है।

कार्ड की हानि / चोरी / दुरुपयोग

1. कार्डधारक को यदि प्राथमिक या कोई अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, समय पर प्राप्त नहीं होता है या यदि उसे संदेह होता है कि कार्ड का उपयोग बिना कार्डधारक की अनुमति के किया जा रहा है, तो उसे तुरंत बैंक के 24 घंटे ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 18008902122 या +91-194-2481936 पर सूचित करना चाहिए। एक बार कार्ड खो जाने की सूचना देने के बाद, कार्डधारक को कार्ड के फिर से मिल जाने पर उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिए।
2. क्रेडिट कार्ड के लिए ब्लॉक / स्टॉपलिस्ट विकल्प बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन M-Pay Delight + पर भी उपलब्ध है।
3. बैंक किसी भी लेन-देन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो कार्ड खोने की सूचना देने से पहले कार्ड खाता पर किया गया हो, और इस मामले में कार्डधारक पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। बैंक को हानि की सूचना प्राप्त करने के बाद, कार्डधारक का बाद में होने वाली कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कार्डधारक को कार्ड की चोरी या हानि की रिपोर्ट पुलिस में भी करनी होगी और FIR दर्ज करनी होगी।

4. कार्ड धारक हर प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी के द्वारा कार्ड का दुरुपयोग किया गया हो उसने कार्ड का ओ.टी.पी; पिन न० आदि कार्ड धारक अथवा Add-on कार्ड धारक की स्वीकृति से ले लिया हो तो कार्ड धारक कार्ड के दुरुपयोग अथवा हर प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा।
5. यदि कार्ड धारक बिना उचित देखभाल के धोखे से कार्य करता है तो जो भी नुकसान होगा उसके लिए कार्ड धारक जिम्मेदार होगा।
6. जे. के. बैंक कार्ड धारक अथवा Add-on कार्ड धारक को संदर्भित किए बिना जे. के. बैंक कार्ड के दुरुपयोग अथवा किसी भी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि से संबंधित सूचना पुलिस अथवा अन्य उपयुक्त अधिकारियों को दे सकता है।

पिन को सुरक्षित रखना

- कार्डधारक को कार्ड के साथ उपयोग के लिए जारी किए गए व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN) को केवल कार्डधारक को ही जानना चाहिए। यह केवल कार्डधारक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, और यह गैर-प्रत्याशित और गोपनीय होना चाहिए | PIN की लिखित रिकॉर्ड को किसी भी रूप, स्थान या तरीके में नहीं रखा जाना चाहिए जो किसी तीसरे पक्ष के द्वारा उपयोग को सरल बना सके | PIN को किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाना चाहिए, चाहे बैंक के कर्मचारियों को या व्यापारी प्रतिष्ठानों को किसी भी स्थिति या किसी भी तरीके से, चाहे स्वेच्छा से या अन्यथा ।

प्रकटीकरण

कार्ड धारक से संबंधित सूचना के प्रकार को कार्ड धारक को उसकी स्वीकृति अथवा बिना स्वीकृति के प्रकट किया जा सकता है

1. कार्डधारक स्वीकार करता है कि जेएंडके बैंक को कार्डधारक की जानकारी जैसे वर्तमान बैलेंस, भुगतान इतिहास, आदि सहित जनसांख्यिकीय विवरण को किसी भी मौजूदा या भविष्य के क्रेडिट ब्यूरो के साथ बिना किसी सूचना के साझा करने का अधिकार है, और ऐसी जानकारी सकारात्मक या नकारात्मक प्रदर्शन या डिफॉल्ट से संबंधित हो सकती है जैसा कि क्रेडिट जानकारी कंपनियों के नियमन अधिनियम, 2005 के अनुसार है।
2. क्रेडिट सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पहला उपक्रम है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली के कार्यक्षमता और स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए है। यह RBI के प्रयासों के अनुरूप है ताकि बैंक और वित्तीय संस्थाओं के बीच सूचना का आदान-प्रदान प्रभावी रूप से किया जा सके, जिससे कार्डधारक विभिन्न संस्थाओं से बेहतर क्रेडिट शर्तों का लाभ उठा सकें।

3. कार्डधारक आगे स्वीकार करता है कि जेएंडके बैंक को कार्डधारक की जानकारी, जिसमें भुगतान में डिफॉल्ट शामिल है, वित्तीय संस्थाओं, नियोक्ता और जेएंडके बैंक द्वारा कार्ड खाता संचालन, सत्यापन और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्त अन्य तृतीय पक्षों के साथ साझा करने का अधिकार है।
4. जेएंडके बैंक कार्डधारक की जानकारी को किसी भी प्रमुख, सहायक, सहायक या संबंधित कंपनी के साथ भी साझा कर सकता है ताकि जेएंडके बैंक या इसके समूह कंपनियों, सहायक कंपनियों और/या संबंधित कंपनियों के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का विपणन और पेशकश की जा सके।
5. बैंक सीधे अथवा परोक्ष रूप से सेवा अथवा किसी भी प्रकार के कर्तव्य को निभाने में चूक या कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा या किसी भी प्रकार की कार्ड की खराबी, ए.टी.एम, संजाल, कार्ड, POS, इंटरनेट प्रवेश द्वार, संदेश / इ-मेल वितरण, अस्थायी रूप से धन की अपर्याप्तता, कोई विवाद या अन्य परिस्थितियाँ जो अधीनता से बाहर हों आदि मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6. जे. के. बैंक कार्ड के CVV पिन, OTP अथवा मोबाईल, e-mail, आदि की माँग नहीं करता है। कृपया ऐसी मांगों की इ-मेल अथवा फोन कॉल को अनदेखा करें। किसी भी प्रकार की बातचीत से पूर्व सरकारी वेबसाइट पर जे. के. बैंक के दूरभाष की पुष्टि कर लें।
7. कृपया इंटरनेट लेन-देन की प्रक्रिया को आरंभ करने से पूर्व वेबसाइट अथवा इंटरनेट प्रवेश द्वार की प्रमाणिकता सुनिश्चित कर लें। धोखे बाजों द्वारा भेजे गए नकली संसर्ग, वेबसाइटस आदि से बचें।
8. बैंक द्वारा दिया गया कार्ड ग्राहक के उपयोग के लिए है। बैंक किसी भी तरह से तीसरे पक्ष प्रतिनिधि को लाभान्वित करने हेतु लेन-देन प्रक्रिया को प्रोत्साहित अथवा समर्थन नहीं करता है।
9. व्यापारी धन वापसी के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय लेन / देने प्रक्रिया में विवाद, मुद्रा में उन्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का अन्तर ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा।
10. अवैध रूप से कमाए गए रुपये को वैध रूप से पेश करने के अनुपालन में (अभिलेखों का संरक्षण) अधिनियम, आपको हमें सूचित करने की आवश्यकता है यदि आपके के.वाई.सी अथवा नवीनतम दस्तावेज़ों में जैसे पता, संपर्क विवरण, प्राफईल आदि में बदलाव हों तो बदलाव की तिथि के 30 दिनों के अन्दर - अन्दर सूचित किया जाना चाहिए। जब आप सूचित करते हैं तो हम हमारे अभिलेखों में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नवीनतम बदलाव को बैंक शाखा द्वारा सूचित कर सकते हैं।

इनाम अंक:

- कार्डधारक प्रत्येक खर्च पर इनाम अंक अर्जित करेगा, सिवाय ईंधन खरीद और नकद निकासी लेन- देन के। इनाम अंकों की वैधता लेन-देन की तिथि से 3 वर्ष है। आपके इनाम अंकों के बारे में अधिक जानकारी

के लिए कृपया "https://www.jkbrewards.com" पर जाएं। इनाम कार्यक्रम बैंक की विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन है।

फीस और चार्जेस की अनुसूची

(सभी चार्जेस / फीस / ब्याज पर लागू दरों के अनुसार GST लागू होगा) राशि INR में

फीस / शुल्क चार्ज के प्रकार	गोल्ड क्रेडिट कार्ड	प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड	सरकारी कर्मचारी क्रेडिट कार्ड	वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड	कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड
प्रवेश शुल्क मुख्य एड-ऑन कार्ड	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
वार्षिक शुल्क मुख्य/ एड-ऑन कार्ड	200+GST	300+GST	NIL	1000+ GST	500+GST
नवीकरण शुल्क मुख्य / एड- ऑन कार्ड	200+GST	200+GST	NIL	200+ GST	200+GST
कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क मुख्य/ एड-ऑन कार्ड	200+GST	200+GST	200+GST	200+ GST	200+GST
उत्पाद अपग्रेड शुल्क	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
सीमा वृद्धि शुल्क मुख्य / एड- ऑन कार्ड	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

यदि कार्डधारक वार्षिक न्यूनतम राशि के अनुसार नीचे दी गई तालिका में दिए गए भुगतान से ऊपर लेन-देन करता है, तो वार्षिक शुल्क नहीं लिया जाएगा:

कार्ड प्रकार	गोल्ड कार्ड	क्रेडिट प्लेटिनम कार्ड.	वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड (पिंक सहित)
खरीद राशि (INR) के लिए वार्षिक शुल्क न लेने का मानक	50,000 से ऊपर	75,000 से ऊपर	2,00,000 से ऊपर

अन्य शुल्क:

क्रम संख्या	विवरण	शुल्क
1	अधिकतम ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि (पूर्ण भुगतान पर नियत तारीख से पहले)	50 दिनों तक
2	वित्त शुल्क / ब्याज दर (खरीद / नकद)	प्रति माह 3% (वार्षिक दर 36% और APR 42.57%)
3	परिक्रामी क्रेडिट पर न्यूनतम भुगतान	महीने में वास्तविक बकाया का 5% या कार्ड सीमा का 5% + सीमा से अधिक उपयोग का 100% + EMI (यदि कोई हो) और EMI प्री-क्लोजर (यदि कोई हो)
5	विवरण तिथि	हर महीने की 20 तारीख
5	भुगतान नियत तिथि	बिलिंग तिथि से 20 दिन (अगले महीने की 9 या 10 तारीख)
6	क्रेडिट सीमा पर नकद अग्रिम	क्रेडिट सीमा का 20%
7	हमारे बैंक एटीएम पर नकद अग्रिम शुल्क	लेन-देन की तारीख से 3% राशि का, न्यूनतम Rs. 300/-
8	चोरी, खोने या क्षतिग्रस्त कार्ड का पुनः निर्गमन शुल्क	कार्ड वेरिफेंट के अनुसार
9	भारत में अन्य बैंक एटीएम पर नकद अग्रिम शुल्क	लेन-देन की तारीख से 3% राशि का, न्यूनतम Rs. 300/-
10	विदेश में नकद अग्रिम शुल्क	लेन-देन की तारीख से 3% राशि का, न्यूनतम Rs. 300/-
11	आहरित शुल्क	ओवर-लिमिट राशि का 2.5% ब्याज, शुल्क, करों से उत्पन्न ओवर-लिमिट को छोड़कर), न्यूनतम Rs. 400
12	देर से भुगतान शुल्क	Rs. 100 तक: NIL, Rs. 100 से अधिक : Rs. 250/-
13	कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क	कार्ड वेरिफेंट के अनुसार
14	चार्ज स्लिप प्राप्ति शुल्क	Rs. 100/- या वास्तविक शुल्क जो भी अधिक हो
15	पिन पुनः निर्गमन शुल्क	Rs.100/-
16	EMI प्रक्रिया शुल्क	Rs. 99/-
17	EMI प्री-क्लोजर शुल्क	शेष राशि का 3%

18	रेंटल भुगतान पर शुल्क (MCC: 6513)	लेन-देन राशि का 1%
19	GST	18% या सरकार द्वारा समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार

उदारीकृत प्रेषण योजना

लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) और स्रोत पर कर (TCS) : यदि मंत्रालय / नियामक अधिकारियों से LRS के तहत विदेशी क्रेडिट कार्ड खर्चों के संबंध में कोई अधिसूचना आती है, तो लागू खर्चों को नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट किया जाएगा और उन खर्चों पर स्रोत पर कर (TCS) लागू होगा।

EMI ब्याज दर:

इंटरनेट लेन देन प्रक्रिया

ट्रांजेक्शन पर EMI अवधि ब्याज दर

3 महीने	14.99%
6 महीने	14.99%
9 महीने	14.99%
12 महीने	14.99%
18 महीने	14.99%
24 महीने	14.99%

बकाया पर EMI ब्याज दर:

ट्रांजेक्शन पर EMI अवधि ब्याज दर

3 महीने	16.00%
6 महीने	16.00%
9 महीने	16.00%
12 महीने	16.99%
18 महीने	16.99%
24 महीने	16.99%

नोट: EMI ब्याज पर GST लागू है।

ये शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं। फीस / चार्जस में बदलाव केवल भविष्य प्रभाव से किए जाएंगे और ग्राहक को कम से कम एक महीने पहले सूचित किया जाएगा। यदि कोई कार्डधारक फीस / चार्जस में किसी भी परिवर्तन के कारण अपना कार्ड बंद करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति होगी, बिना अतिरिक्त शुल्क के, बशर्ते सभी बकाया का भुगतान किया गया हो।